प्रेस नोट 17/10/2021

तीन अर्न्तजनपदीय शातिर बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से तमंचा व कारतूस एवं चोरी की मोटरसाईकिल बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के कम में थाना चिरैयाकोट पुलिस टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 17.10.2021 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर राजापुर नहर पुलिया के पास वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाईकिल सवार तीन व्यक्तियों को रोकने का इशारा किया गया तो वाहन को पीछे की तरफ मोड़कर भागने का प्रयास किये जिस पर मौजूद पुलिस बल द्वारा घेरकर तीनों को घेरकर पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान वाहन चालक द्वारा अपना नाम प्रिंस यादव पुत्र लालबहादुर निवासी मकदूमपुर थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर बताया गया जिसकी जामा तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ, अन्य दो व्यक्तियों द्वारा अपना नाम कमशः हिमांशु यादव उर्फ करिया पुत्र कमला यादव निवासी मकदूमपुर भोला यादव पुत्र रामकिशुन निवासी श्रीरामपुर (रामवन) थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर बताया गया। उक्त मोटरसाईकिल (सूपर स्प्लेंडर) के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ के दौरान उक्त द्वारा बताया गया कि उक्त मो0साईकिल हम लोग दिनांक 04.10.2021 को औड़िहार रेलवे स्टेशन के पास से चुराये थे जिसका हम लोग नंबर प्लेट बदलकर तथा चेंचिस खुरच दिये थे जिससे पुलिस पहचान न सके, प्रयोग कर रहे थे तथा आज इस मो0साईकिल को आजमगढ़ बेचने के लिये जा रहे थे आप लोगों द्वारा पकड़ लिये गये। मो0सा0 को देखा गया तो उसपर पीछे की तरफ यूपी 54 एडी 4257 अंकित तथा चेचिस नं0 खुरचा हुआ है स्पष्ट नही दिखाई दे रहा है तथा इंजन नं0 जेए 05इबीबी9के03982 अंकित है मो0सा0 पर अंकित नम्बर प्लेट यूपी 54 एडी 4257 का ई– चलान एप्प पर चेक करने पर बाहन स्वामी का नाम प्रीयंका कुमारी पुत्री राम बचन राजभर ग्रा0 छतरपुर थाना हलधरपुर मऊ अंकित है उक्त नं0 के चेचिस व इंजन नं0 पकड़ी गई मो0सा0 के इन्जन नम्बर से मिलान करने पर मेल नही खा रहा है। इंजन नं0 से चेक करने पर बरामद मो0सा0 वास्तविक रजि0नं0– जीजे06इआर7305 आ रहा है जो महेश कुमार पुत्र मूलचन्द निवासी बहरामपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी आ रहा है आनलाइन पता मे अंकित मो0नं0 पर मिला कर बात करने पर बताया गया कि मेरा नाम महेश कुमार है मेरी मो0सा0 नं0 जीजे 06 इआर 7305 है जो दिनांक 04–10–21 को औडिहार रेलेव स्टेशन के पास से चोरी हुई थी जिस सम्बन्ध मेरे द्वारा दिनांक 12.10.21 को थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर मु0अ0सं0 297/21 धारा 379 भादवि लिखवाया है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. प्रिंस यादव पुत्र लालबहादुर निवासी मकदूमपुर थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर।
2. हिमांशु यादव उर्फ करिया पुत्र कमला यादव निवासी मकदूमपुर थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर।
3. भोला यादव पुत्र रामकिशुन निवासी श्रीरामपुर (रामवन) थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर।

बरामदगी–

1. चोरी की मो0सा0 सूपर स्प्लेंडर (जीजे 06 इआर 7305)।
2. एक अदद तमंचा व जिंदा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

उ0नि0 अमित मिश्रा थानाध्यक्ष चिरैयाकोट, उ0नि0 उमेश यादव, उ0नि गंगासागर मिश्र, मु0आरक्षी राजेश कुमार, आ0 गोकर्ण यादव, अमित यादव, मनीष कुमार थाना चिरैयाकोट।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा आज दिनांक 17.10.2021 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बसारथपुर हाइवे के पास से मु0अ0सं0 267/21 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त रोशन पुत्र हरिमोहन निवासी बसारथपुर थाना दोहरीघाट मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 05 महिलाओं सहित कुल 24 व्यक्ति गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 17.10.21 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा दुर्गेश यादव निवासी बड़हलगंज, रतनेश गौड़ निवासी भैंसाखरग, हरेन्द्र, रामभजन व संतोष निवासीगण परिखापुर, हेमंत राय निवासी पतनई बुजुर्ग, संतोष यादव निवासी गोठा थाना दोहरीघाट, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा दयानंद यदव निवासी फतेहपुरताल नरजा, श्रवण निवासी वाजिदपुर, राजन निवासी हुंसापुरा थाना कोपागंज व विजय निवासी गंगुआबारी थाना घोसी, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अजय व गोपी निवासी परदहां थाना कोतवाली, थाना मुन्ना राम निवासी पिटोखर थाना मुहम्मदाबाद व थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा विकास, रोहित, सोनू निवासीगण सरवां, अमरेश यादव, सुमन यादव, प्रमीला देवी, लीलावती, लालमती देवी, रीमा देवी व देवनाथ निवासीगण ओन्हाइच थाना सरायलखंसी मऊ को शांति भंग की आशंका में धारा 151 सीआरपीसी के अर्न्तगत गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

03 दंपति साथ–साथ रहने को हुये राजी, कुल 12 मामलों का हुआ निस्तारण–

आज दिनांक 17.10.2021 को पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में महिला एच्छिक ब्यूरो की बैठक मऊ पुलिस लाईन में सम्पन्न हुयी जिसमें ब्यूरो के समक्ष कुल 24 मामले आये जिनमें 12 मामलों का निस्तारण हुआ।

अमीना खातून पत्नी जमील, रफउल पत्नी इश्तेयाक, संगीता पत्नी सत्यप्रकाश ब्यूरो के प्रयास से पति–पत्नी के रुप में सहर्ष रहने का राजी हो गये, ज्योति पत्नी रितुराज अलग रहने को राजी हुये तथा कोर्ट के फैसले तक दोनों अपने बच्चे का ख्याल रखेंगे तथा बच्चा मां के पास रहेगा। अन्य 08 मामलों में पक्षकारों की सहमति व मामला कोर्ट में विचाराधीन के चलते फाईल बंद करते हुये निस्तारित की गयी।